प्रेस नोट-17.10.2020

(1). आज दिनांक 17.10.2020 को जिलाधिकारी महोदय श्री शेषमणि पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस कार्यालय सोनेपुर स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं नारी सुरक्षा सम्मान व स्वालम्बन के सम्बन्ध में श्रीमती वन्दना त्रिपाठी नोडल अधिकारी मिशन शक्ति उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए 06 माह का महाअभियान मिशन शक्ति के सम्बन्ध में गोष्ठी कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

1. महिला लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाये और जो महिलाये एवं बालिकाये लाभार्थी के योग्य हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाये जा रहे अभियान से जोड़कर लाभ दिलाया जाये।
2. महिलाओं एवं बालिकाओं को एहसास दिलाया जाये कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिये कटिबद्ध है जिसके लिए एण्टी रोमियों स्कवाड, महिला डेस्क, विमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवाये 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइ 1076 चलायी जा रही है।
3. प्रत्येक प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी अपने थाना/चौकी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु अभियान चलाकर एवं महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करें।
4. पूर्व में महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधियो की चेकिंग करें एवं उनके विरुद्ध प्रभावी करायवाही करें। इसके लिये माह के प्रथम सप्ताह में जागरूकता अभियान चलाया जाये जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को सजग एवं जागरूक बनाया जाये साथ में मांता एवं पिता द्वारा अपने बालकों को महिलाओं से सम्बन्धित होने वाले अपराधों की जानकारी देने एवं उन्हें अपराध में सम्मिलित न होने हेतु जागरूक करें।
5. महिला डेस्क पर जो भी महिलायें शिकायत हेतु आती हैं उनके साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करें एवं उनकी समस्याओं से अवगत हों तथा उनकी समस्याओं का अनावरण करायें।
6. एण्टी रोमियो द्वारा अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न न किया जाये।
7. बीट के सिपाही द्वारा अपने बीट क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलायें
8. दशहरा त्यौहार में जहां पर रामलीला होती है वहां पर नारी शक्ति से सम्बन्धित आडियों या वीडियो का मंचन कराये एवं लोगों को जागरूक करें।
9. रामलीला जो कि रात्रि में होती है आपराधिक घटनायें होने की सम्भावनाये बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में एण्टी स्क्वायड एवं बीट उ0नि0 व बीट आरक्षी का रात्रि में सक्रिय होना चाहिये।
10. महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान से सम्बन्धित मोटिवेशनल वीडियो अपने-अपने क्षेत्र में जाकर बनायें एवं मीडिया में उसका प्रचार एवं प्रसार कराया जाये।
11. नारी सुरक्षा एवं सम्मान हेतु कार्ययोजना बनाकर मूर्त रूप में केवल खानापूर्ति न करें बल्कि नारी शक्ति अभियान गरीब महिलाओं तक भी पहुचें।
12. गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की जाये एवं उसके विरुद्ध ऐसी कार्यावाही करें जो समाज के लिए एक उदाहरण बने।
13. गांव गावं जाकर चौपाल लगाकर महिलाओं से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करें एवं उससे सम्बन्धित वीडियो बनाकर प्रचार एवं प्रसारित करें।
14. ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां पर महिलाओं/बालिकाओं के साथ छींटाकशी की जाती है, वहां पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये एवं ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्वाही की जाये।
15. किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध खनन/अवैध परिवहन न हो, यदि कहीं भी अवैध खनन/अवैध परिवहन पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए टास्क फोर्स द्वारा रात्रि में आकस्मिक चेकिंग करायी जाये एवं कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाये।
16. पण्डालों में मूर्ति का आकार छोटा हो एवं कोरोना के प्रोटोकाल का पालन किया जाये जिसमें मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा जाये।
17. महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित हुये अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलायें।
18. नवरात्र/दशहरा/दीपावली बारावफात व आगामी त्याहारों को दृष्टिगत रखते हुये सतर्क दृष्टि रखें ताकि घटनाओं को रोका जा सके एवं घटिन न हो।
19. प्रो-एक्टिंग पुलिसिंग पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

(1). थानास्तर पर सीसीटीएनएस के अनुसार लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर, सभी को सख्त निर्देश दिये गये कि लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें।

(2). अपराधियों की नयी हिस्ट्रीसीट खोलने हेतु निर्देश दिये गये।

(3). शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में मौके पर जाकर सभी प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

(4). पुरुस्कार घोषित अपराधी,मफरूर एवं माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया।

(5). टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही व जमानत निरस्तीकरण व निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(6). धारा 82/83 सीआरपीसी के अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

मासिक अपराध गोष्ठी/नारी सुरक्षा शक्ति गोष्ठी में एडीएम महोदय, एसडीएम सदर/मऊ/राजापुर/मानिकपुर महोदय, श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी राजापुर रामप्रकाश, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशमन अधिकारी, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो, प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी डीसीआरबी/कोराना/महिला सम्मान प्रकोष्ठ, वाचक पुलिस अधीक्षक, स्टेनो एसपी एवं प्रधान लिपिक तथा अन्य शाखा प्रभारी उपस्थित रहें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री संदीप कुमार पटेल तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 136/2020 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 03 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के दीपक कुमार कुशवाहा पुत्र शिवशंकर कुशवारा निवासी पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री संदीप पटेल थाना पहाड़ी
2. आरक्षी पवन कुमार डांगी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थो की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा खटवारा से अभियुक्त मुन्ना द्विवेदी पुत्र इन्द्र कुमार द्विवेदी निवासी खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 300 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 227/20 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

01 किलो 300 ग्राम सूखा गांजा

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना राजापुर
2. आरक्षी राहुल पाण्डेय